



डॉ.मांक: एफ4 (201)आकांक्षि/नि.स./2010/764

दिनांक-25-01-2021

**आदेश**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संघालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनिवार्य निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संघालित संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संघालित संकाय व विषय
की वेपतालम शिक्षण समिति, सूरतपुर, तहसील तालकोट, जिला बीस।	मन्सू महाविद्यालय, सैयल रोड, बाईपास बीस। बीस।	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।	स्नातक स्तर पर - कला संकाय- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार नया वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा साक्षि जमा करि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा साहाय्य अनिवार्य उपलब्ध करावेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संलग्न संघालित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा निधि महाविद्यालय के प्रकरण में शैक्षणिक/अन्य से संबंधित व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुदान प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।
7. संस्था संकाय व विषयगत शीटों का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सुचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तब संकाय शीटों में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताधारी प्राध्यापक एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मान्यताानुसार अर्हताधारी स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक साक्षिणी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [www.aicse.nic.in](http://www.aicse.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की शर्तों को आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा।

*Jah*  
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निहित सहायक, मा0 राज शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बीस।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सचिव/अधीक्षक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. शक्ति प्रकाशनी।

*अनापत्ति*

संयुक्त-निदेशक (नि0स0)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (118) आकाशि/अनु/10/344

दिनांक 4/5/2010

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित संकाय/विषय हेतु तीन सत्रों (2010-11, 2011-12, 2012-13) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
1	118	सचिव, श्री बैपलायत शिक्षण समिति, सूरतपुरा तहो लालसोट, जिला दोसा	मत्स्य महाविद्यालय, सीधल रोड़, अयोध्या नगर, दोसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, समाजशास्त्र, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान बी.सी.ए.

1. संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर सत्र 2013-14 में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन करेगी, अन्यथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन विषयों व स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।
6. संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भूमि क्रय कर उस पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
7. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यूजीसी. राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
12. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
13. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है ।

नोट— उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड

- (क) जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।
- (ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
- (ग) छात्र-छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।
- (घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।
- (ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई हो ।

*[Signature]*  
आयुक्त

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, दौसा ।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

*[Signature]*  
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)